राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1535 / 2013

रामकिशोर शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर, दरबार स्कूल परिसर,

गोपीनाथ मार्ग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन काल की अवधि 01.08.2012 से 27.05.2013 के दौरान निर्वाह भत्ता दिये जाने की प्रार्थना की है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 1—8—2012 से दिनांक 27—5—2013 तक की निलम्बन अवधि के लिए राजस्थान सेवा नियम—53(1)(ए) के अंतर्गत मूल वेतन पर 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी आदेश राज्य सरकार आदेश की अनुपालना में रोजगार निदेशालय के आदेश क्रमांक—प.13(73)स अराज / 10 / 6022—26 दिनांक 20—3—2014 जारी कर दिया गया है, जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी प्रेषित कर दी गयी है।
3. उपरोक्त जवाब से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात निर्वाह भत्ता दिये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसे में यह अपील सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)